न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान–2018
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाडमेर आगोर

क्रमांक रीडर/2018/1308 दिनांक – 07/06/20

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1 रामसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर।		1 तनसिंह पुत्र जबरसिंह 2 गोरधनसिंह पुत्र जोगराजसिंह 3 दीपसिंह पुत्र उतमसिंह 4 गजेन्द्रसिंह पुत्र निम्बसिंह 5 दानसिंह 6 जुजारसिंह पिसरान शंकरसिंह 7 वीरसिंह पुत्र बस्तीसिंह 8 रामसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 9 ईश्वरसिंह पुत्र मुलसिंह 10 तारसिंह पुत्र नगसिंह 11 फरससिंह पुत्र देवीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाडमेर गादान 12 सुरताराम पुत्र नारणाराम 13 भानाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी बाडमेर गादान 14 तनसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी मुरटालागाला महाबार 15 शंकरसिंह 16 अर्जुनसिंह 17 राजूसिंह पिसरान अमरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी लंगेरा तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :–77/2018 दिनांक–05.06.2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाडमेर गादान पटवार क्षैत्र बाडमेर आगोर के खसरा नम्बर 2259 रकबा 117.09 बीघा एवं खसरा संख्या 2261 रकबा 14.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर बीमाकुन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक– 07/06/2

क्रमांक :– रीडर/2018/1309-1312

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाडमेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी रामसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी तनसिंह पुत्र जबरसिंह वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासी बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर